

प्रेस नोट दिनांक 18.09.2020

थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली

थाना बिथरी चैनपुर #bareillypolice द्वारा मु0अ0सं0 540/20 धारा 302/201 भादवि सफल अनावरण करते हुये अभियुक्त शिशुपाल यादव को किया गिरफ्तार

दिनांक 16.09.2020 को श्री कुंवरपाल पुत्र श्री सिपट्टर सिंह नि0 ग्राम नवदिया देहजब्ती थाना बिथरी चैनपुर बरेली ने समय करीब शाम 07.00 बजे द्वारा टेलीफोन बताया कि मेरा पुत्र देव सिंह उम्र करीब 14 वर्ष गायब है। सूचना पर थाना हाजा से पुलिस बल मौके पर पहुंचा। कुछ देर तलाश के बाद देव सिंह का शव ग्राम प्रधान प्रेम सिंह के ट्यूबवैल के हौज में मृत अवस्था में शव मिला। मृतक के शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं थी इसलिये डूबने से मृत्यु होना प्रतीत हो रही थी। मृतक के शव का पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गला दबाकर आया। इस पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय को कड़े निर्देश दिये गये कि बच्चे की निर्मम हत्या का तत्काल अनावरण कर अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाये। उक्त आदेश पर पुलिस अधीक्षक नगर ने क्षेत्राधिकारी तृतीय के निर्देशन में थाने से एक टीम गठित कर कार्यवाही शुरू की गई तो कुंवरपाल के परिवारी शिशुपाल पुत्र गजराज ने देवसिंह की गला दबाकर हत्या करके ट्यूबवैल के हौज में इसलिये डाल दिया था क्योंकि शिशुपाल ने देवसिंह को अपने बेटे सुधांशु को खेलते समय पीटते हुये देख लिया था जब वह अपने धान के खेत से आ रहा था। देवसिंह, सुधांशु को आये दिन पीट देता था जिस पर पहले भी कई बार कहासुनी हो चुकी थी। शिशुपाल के चाचा खेमपाल सिंह के खेती के किसान खाते में आने वाले 2000/- रुपये गलती से 3 माह तक कुंवरपाल के खाते में चले गये थे जो कुंवरपाल ने वापस नहीं किये थे तथा कुंवरपाल का शिशुपाल के घर के सामने से निकास है जिसपर आये दिन कहासुनी हो जाती थी। इसलिये दोनों परिवारी जन आपस में रंजित मानते थे और बोलचाल नहीं थी। शिशुपाल द्वारा बताया गया कि यह मेरे बेटे को आये दिन पीट देता था जिसकी शिकायत मैंने पहले भी कुंवरपाल से की थी परन्तु कुंवरपाल का लड़का देवसिंह मेरे लड़के से बड़ा था और कुंवरपाल दबंग होने के कारण अपने बेटे को कुछ नहीं कहता था और खुश होता था। हम कहकर भी मन मसोस कर रह जाते थे। इस बात को लेकर मैं पहले से भी गुस्से में था। मैं खेत से आ रहा था तो मैंने स्वयं देवसिंह को अपने बच्चे को पीटते देखकर अपने गुस्से को न रोक सका और मैंने दौड़कर उस समय पकड़ लिया जब देवसिंह, सुधांशु तथा दीपक साथ खेलते खेलते देवसिंह, सुधांशु को पीटने लगा तब मैंने देवसिंह

का गला पकड़ कर दबा दिया था जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनो बच्चे सुधांशु और दीपक भाग गये तब मेरा गुस्सा उतरा तो मैने देवसिंह को ईख के खेत मे रख दिया और कुछ देर बाद जब वहां कोई नहीं रहा तो हौज जिसमे पानी भरा था हौज मे डाल दिया जिससे पता चले कि डूबने से मौत हो गई और अपने घर चला आया था। पुलिस को जब यह पता चला कि दीपक सुधांशु और देवसिंह गाँव के पास प्रेमसिंह के ट्यूबवैल पर खेल रहे थे दोनो बच्चो से पूछताछ की गई तो उनको समझाई गई बात ज्यादा देर तक न टिक सकी और बच्चो ने हकीकत बता दी जिसपर तुरन्त ही शिशुपाल को पूछताछ हेतु उठा लिया गया परन्तु शातिर शिशुपाल काफी देर तक पुलिस को गच्चा देता रहा जब उसे पता चला कि बच्चो द्वारा पहले ही पूर्ण घटना को पुलिस को बता दिया गया है तो उसने भी पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया और अपने द्वारा की गई निर्मम हत्या की वारदात से अवगत कराया। अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 540/20 धारा 302/201 भा0द0वि0 पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है।

अभियुक्त का नाम पता:-

शिशुपाल यादव पुत्र गजराज सिंह यादव नि0 ग्राम नवदिया देहजब्ती थाना बिथरी चैनपुर बरेली।

अनावरण करने वाली टीम:-

- 1.SHO श्री अशोक कुमार सिंह थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली
- 2.उ0नि0 श्री राजकुमार सिंह थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली
- 3.उ0नि0 श्री उरेन्द्र पाल सिंह थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली
- 4.हे0का0 380 महेन्द्र सिंह थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली
- 5.का0 2837 गौरव कुमार थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली

सोशल मीडिया सैल
जनपद बरेली

उत्तर प्रदेश

पुलिस